संख्या-83/2019/1794/छप्पन-2019-43/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2019

विषय : राजकीय वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों के अनुरक्षण कार्य हेतु सामान्य टूल्स क्रय किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-329/CADUP/ENG(PUR)/Q-7/2019 दिनांक 20 अगस्त, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों के अनुरक्षरण कार्य हेतु प्रयोग किए जाने वाले सामान्य टूल्स दिनांक 17.08.1995 में क्रय किये गये थे, इस 24 वर्ष के लम्बे अन्तराल में सामान्य टूल्स मुख्यत: Pliers ,Cutters, Screw-Drivers, Hammers, Sockets , Spanners , Punches, Chisels, Ratcheting Box Spanner इत्यादि लगातार प्रयोग होने के कारण लगभग Worn Out हो चुके हैं एवं इन्हें अनुरक्षण कार्य के समय वायुयानों/हेलीकाप्टरों में प्रयोग करने में न केवल slip होने यानि सही Grip न होने के कारण वायुयानों/हेलीकाप्टरों में लगे मंहगे पुर्जे तथा उसके हार्डवेयर क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहती है। उक्त के अतिरिक्त सामान्य रूप से कई वायुयान एवं हेलीकाप्टर पर अनुरक्षण कार्य किये जाने की दशा में टूल्स की कमी होने के कारण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है तथा इसके कारण कार्य कुशलता एवं गति प्रभावित हो रही है। अत: एविएशन टूल निर्माता फर्म M/s Snap-On Tools Singapore Pvt. Ltd., Singapore से प्राप्त ई-मेल कोटेशन No. Sol-2019-024 dated 20.05.2019 के अनुसार प्रश्नगत सामान्य टूल्स क्रय किए जाने हेतु यू0एस0 डॉलर 24060.30 जो कि रू0 73/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित कुल रू0 17,56,402/- होता है, का व्यय निहित है। अत: राज्यपाल महोदय राजकीय वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों के अनुरक्षरण कार्य हेतु प्रयोग किए जाने वाले सामान्य टूल्स निर्माता कम्पनी M/s Snap-On Tools Singapore Pvt. Ltd., Singapore से प्राप्त कोटेशन के आधार पर कुल यू.एस.डालर 24060.30 जो भारतीय मुद्रा में रूपए 73/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित कुल रू0 17,56,402/- (रूपए सत्रह लाख छप्पन हजार चार सौ दो मात्र) होता है, में क्रय किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत धनराशि के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में निर्माता कम्पनी को वायर ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा की जाएगी। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन एवं यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-763 /ई-7-2019 दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

<u>पृ0सं0-83/2019/1794(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।